

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1784
उत्तर देने की तारीख-11/12/2024

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की आंतरिक समीक्षा या संपरीक्षा

1784 श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक 2024 और यूजीसी-नेट परीक्षाओं के खराब संचालन के कारणों का आकलन करने के लिए आंतरिक समीक्षा या संपरीक्षा की है और इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे;
- (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि एनटीए द्वारा प्रबंधित भविष्य की परीक्षाओं में इस तरह का कुप्रबंधन दोबारा न हो; और
- (ग) क्या सरकार को इन परीक्षाओं के संचालन को लेकर छात्रों, अभिभावकों या शैक्षिक निकायों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों की प्रतिक्रिया में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): नीट (यूजी) 2024 परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा 5 मई 2024 को आयोजित की गई। नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के आयोजन के बाद, कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/कदाचार के कुछ मामले सामने आए थे। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के संबंध में षडयंत्र, धोखाधड़ी, विश्वासघात आदि सहित

कथित अनियमितताओं के पूरे दायरे की व्यापक जांच करने को कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी (सिविल) 335/2024 और इससे जुड़े मामलों में 2 अगस्त, 2024 के निर्णय में पैरा 84 में टिप्पणी की है कि "इसलिए, वर्तमान में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री नहीं है जो सिस्टमिक लीक या अन्य रूपों के सिस्टमिक कदाचार का संकेत देती है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, वर्तमान में, इस आरोप की पुष्टि नहीं करती है कि व्यापक कदाचार हुआ है जिससे परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता हुआ है।" इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई, 2024 के पहले के आदेश के अनुपालन में, नीट (यूजी) 2024 परीक्षा का संशोधित परिणाम 26 जुलाई, 2024 को घोषित किया गया है।

एनटीए द्वारा दिनांक 18.6.24 को आयोजित यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा को कुछ इनपुट मिलने के बाद रद्द कर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया है। मामला सीबीआई को सौंपा गया और परीक्षा 21 अगस्त से 5 सितंबर, 2024 के बीच नए सिरे से निर्धारित की गई। परीक्षा का परिणाम 17 अक्टूबर 2024 को पहले ही घोषित किया जा चुका है।

एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारु और निष्पक्ष संचालन हेतु प्रभावी उपाय देने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को डॉ. के. राधाकृष्णन, पूर्व इसरो अध्यक्ष और अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आईआईटी कानपुर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (एचएलसीई) का गठन किया।

इस समिति ने दिनांक 21.10.2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और एनटीए को मजबूत करने, डोमेन विशिष्ट जनशक्ति की नियुक्ति, ज्ञान और परीक्षा भागीदार के रूप में टेस्ट इंडेंटिंग एजेंसियों की भागीदारी आदि सहित राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में सुधार की सिफारिश की है। समिति ने सिफारिश की है कि एनटीए को सुरक्षित परीक्षा प्रशासन तंत्र

उपलब्ध कराने के लिए राज्य/जिला प्राधिकरणों के साथ संस्थागत संबंध विकसित करना चाहिए। इस संबंध में, शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए परीक्षाओं के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से राज्य मशीनरी के सहयोग के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखा है।

एचएलसीई ने पेन और पेपर टेस्ट (पीपीटी) और कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) दोनों परीक्षाओं में उल्लंघन को रोकने के लिए उपाय बताए हैं और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की सिफारिश की है। परिभाषित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रश्न पत्र सेटिंग और जांच के लिए दिशा-निर्देशों की भी सिफारिश की गई है। इसके अलावा, अन्य सिफारिशों के अतिरिक्त, एचएलसीई ने छात्रों को परीक्षा केंद्र आवंटन के किसी भी असामान्य पैटर्न को रोकने के लिए परीक्षा केंद्र आवंटन नीति पर विस्तृत रूपरेखा विकसित करने के लिए कहा है। समिति ने एनटीए पर एचएलसीई की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय संचालन समिति के गठन की भी सिफारिश की, जिसका गठन मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 नवंबर, 2024 को किया गया है।

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू किया है। यह अधिनियम 21 जून, 2024 से लागू हो गया है और इसके तहत नियम 23 जून, 2024 को अधिसूचित किए गए हैं।
